## हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट्स (HMNEH) योजनान्तर्गत जैविक खेती घटक के अन्तर्गत वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन हेतु एच.डी.पी.ई. वर्मीवैड इकाई (HDPE Vermibed Unit) स्थापना से कास्तकारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मूल उत्पादक फर्मो/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तें व नियम

### अ) पंजीकरण हेतु सामान्य शर्तें

1) बागवानी मिशन योजनान्तर्गत एच.डी.पी.ई. वर्मीवैड इकाई (HDPE Vermibed Unit) की मूल उत्पादक फर्मो/कम्पनियों से पंजीकरण हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं।

2) फर्म/कम्पनी के पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म मूल्य **रू0 1,000/-(रूपये एक हजार मात्र)** में उपलब्ध होगा। फार्म कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून से प्रत्येक कार्य दिवस में नगद धनराशि जमा कर **दिनांक** 19.05.2015 की **सांय** 05:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं, जिन्हें मुहर बन्द लिफाफे में **दिनांक 20.05.2015** को **दोपहर** 12:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में जमा किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों को **दिनांक 20.05.2015** को ही **अपरान्ह 02:00** बजे विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा खोला जायेगा। फार्म क्रय सम्बन्धी विभागीय रसीद (डी-2) या प्रपत्र का मूल्य **रू0 1,000/-(रूपये एक हजार मात्र)** का बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के पक्ष में देय हो, को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा फर्म/कम्पनी के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

3) लिफाफे के ऊपर एच.डी.पी.ई. वर्मीवैड इकाई (HDPE Vermibed Unit) पंजीकरण हेतु आवेदन अवश्य अंकित किया जाय।

4) पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म को बागवानी मिशन की बेवसाईट www.shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है, जिसे जमा करने हेतु ₹1,000/ का बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम देय हो, संलग्न करना होगा। बेवसाईट से डाउनलोड किये गये आवेदन फार्म अथवा क्रय किये गये आवेदन फार्म किसी अन्य फर्म/कम्पनी को न तो विक्रय किया जा सकेगा न ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।

5) किसानों को निर्माण उपरान्त सेवा आसानी से प्राप्त कराने के उद्देश्य से फर्म/कम्पनी का कार्यालय अथवा डीलर उत्तराखण्ड राज्य में होना आवश्यक है।

6) यदि निर्माता फर्म/कम्पनी देश के बाहर की हैं तो उनके द्वारा देश में Authorized Dealership ली गई हो, जिससे उक्त फर्म/कम्पनी देश में कार्य कर सकती है। इस स्थिति में सम्बन्धित फर्म/कम्पनी को इस आशय का प्रमाण पत्र जो कि मूल विनिर्माता द्वारा दिया गया हो, पंजीकरण प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

7) कास्तकार विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त अपनी स्वेच्छा से विभाग में पंजीकृत किसी भी फर्म/कम्पनी से एच.डी.पी.ई. वर्मीबैड (HDPE Vermibed) क्रय कर सकता है।

8) फर्म/कम्पनी का वाणिज्य कर हेतु पंजीकरण होना आवश्यक है।

9) फर्म/कम्पनी द्वारा एच.डी.पी.ई. वर्मीबैड स्थापना में प्रयुक्त सामग्री की 01 वर्ष की गारण्टी/वारण्टी देनी होगी।

10) पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता/निर्माता, फर्म/कम्पनी को केन्द्रीय/राज्य व्यापार कर से पंजीकृत होना अनिवार्य है। साथ ही पंजीकरण प्रमाण पत्र, वैट एवं आयकर पैन कार्ड की छायाप्रति फार्म के साथ संलग्न करनी होगी।

11) पंजीकरण के पश्चात् यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी के साथ विवाद की स्थिति में फर्म/कम्पनी को निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड का फैसला अन्तिम रूप से मान्य होगा।

12) पंजीकरण की वैधता तिथि 31.03.2017 तक होगी।

13) भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोतरी/परिवर्तन किया जाता है, तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायेगें।

14) विभाग की आवश्यकतानुसार पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय नवीनीकरण अथवा समाप्त किया जा सकता है।

15) एच.डी.पी.ई. वर्मीवैड इकाई (HDPE Vermibed Unit) की स्थापना इस कार्यालय के माध्यम से गठित समिति द्वारा निर्धारित निम्न मानकानुसार की जायेगी, जिसके अनुसार प्रति इकाई लागत अधिकतम रू0 10,000/ है। उक्त मानकानुसार फर्मो/कम्पनियों से **प्रपत्र--1** में उल्लिखित घटकों के अन्तर्गत आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की जायेगी, जिसकी दरें समिति द्वारा निर्धारित दरों से अधिक होने पर पंजीकरण नहीं किया जायेगाः–

(धनराशि ₹ में)

| क्र0 सं0 | मद | इकाई | अधिकतंम लागत | राज सहायता | कृषकांश | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ISI Marked HDPE Vermibed (IS: 15907:2010) (Size 12'x4'x2') | 1 No. | 3500.00 | 3500.00 | - | |
| 02 | UPVC Pegs 14 Nos (Size 1" Dia & Length 33") & UPVC Pipe shade structure | 14 No. | 1450.00 | - | 1450.00 | स्थानीय उपलब्ध सामग्री से भी तैयार किया जा सकता है। |
| 03 | Shade Cover ISI Marked HDPE Tarpaulin (IS: 7903:2011) (Size 8'x 15') | 1 No. | 900.00 | 900.00 | - | |
| 04 | PVC Pipe for Vermiwash Drain | 1 No. | 150.00 | 150.00 | - | |
| 05 | Partly Decompose farm waste & dung (1000 kg) | 1000 kg | 1000.00 | - | 1000.00 | स्थानीय उपलब्ध सामग्री से भी तैयार किया जा सकता है। |
| 06 | Earthworms (5 kg) Rs 400 per kg | 5 kg | 2000.00 | 450.00 | 1550.00 | |
| 07 | Rose cane for watering | 1 Nos | 300.00 | - | 300.00 | |
| 08 | Site Development | - | 500.00 | - | 500.00 | |
| 09 | Vermiwash Collection Bucket | 1 Nos | 200.00 | - | 200.00 | |
| | | **Total** | **10,000.00** | **5,000.00** | **5,000.00** | |

16) यदि फर्म के मानक सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की वैद्यता तिथि 31.03.2017 से पूर्व समाप्त होती है तो फर्म को नवीनीकृत पंजीकरण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी अन्यथा फर्म का पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा।

17) फर्म/कम्पनी द्वारा वर्मी वैड की आपूर्ति करने के उपरान्त विभाग को मूल बिल–वाउचर प्रस्तुत करते हुए विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर लिये जाने के उपरान्त सीधे किसान को एकाउन्ट पेई चैक से राजसहायता का भुगतान किया जायेगा। कास्तकार के लिखित अनुरोध करने पर राजसहायता की धनराशि एकाउन्ट पेई चैक से फर्म/कम्पनी को किया जा सकेगा।

18) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकरण की शर्तो/नियमों में तद्नुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

19) फर्म/कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई भी जानकारी यदि पंजीकरण की अवधि के दौरान असत्य पाई गई तो फर्म/कम्पनी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार वैद्यानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

**20) आवश्यक अभिलेखः–**

i. फर्म/कम्पनी को प्रपत्र–1 पर एच.डी.पी.ई. वर्मीबैड (HDPE Vermibed) की दर अंकित कर संलग्न करनी होगी।

ii. फर्म/कम्पनी का कार्यालय अथवा डीलर के उत्तराखण्ड राज्य में स्थित होने का प्रमाण।

iii. देश से बाहर की फर्म/कम्पनी होने पर उनकी देश में Authorized Dealership का प्रमाण।

iv. पूर्व में उत्तराखण्ड या किसी अन्य राज्य में एच.डी.पी.ई. वर्मीबैड विक्रय/वितरण का प्रमाण।

v. एच.डी.पी.ई. वर्मीबैड के स्पेसीफिकेशन तथा Design Parameter BIS (IS: 15907:2010) के अनुरूप होने का प्रमाण।

vi. 01 वर्ष की गारन्टी/वारन्टी प्रदान करने का प्रमाण।

vii. फर्म/कम्पनी की प्रोफाईल संलग्न करनी होगी, जिसमें फर्म/कम्पनी के कार्यालय का पता, फर्म/कम्पनी के स्वामी का नाम, फर्म/कम्पनी के निदेशक, फर्म/कम्पनी के साझेदारों का नाम अंकित हो।

viii. फर्म/कम्पनी का टिन एवं पैन नम्बर की छायाप्रति।

ix. फर्म/कम्पनी के पंजीकरण के प्रमाण की छायाप्रति।

**ब) अन्य आवश्यक शर्तें**

1. फर्म/कम्पनी को पंजीकरण के उपरान्त ₹50,000/ (रूपये षचास हजार मात्र) की बैंक गारन्टी जो कि निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के नाम देय हो, उपलब्ध करानी होगी, जिसकी वैद्यता दिनांक 31.03.2017 तक होनी अनिवार्य है।
2. समस्त जिला उद्यान अधिकारी कार्यालयों में समान दर से आपूर्ति करनी होगी।
3. फर्म/कम्पनी को कास्तकार के यहाॅ एच0डी0पी0ई0 वर्मी वैड स्थापित कर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन की जानकारी प्रदान करनी होगी।
4. कास्तकारों द्वारा मांग किये जाने पर प्रत्येक एच0डी0पी0ई0 वर्मी वैड के साथ कास्तकारों को केंचुए (अैसेनिया फोटेड़ा) न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराने होगें।

## हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट्स (HMNEH) योजनान्तर्गत नयी मार्गनिर्देशिका–2014 के अनुसार HDPE वर्मी बैड के मूल उत्पादक फर्मो/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु दरों का प्रारूप

विभागीय कैश रसीद/बैंक ड्राफ्ट संख्या:– .......................... दिनांक:– ............................

धनराशि:– ₹1,000/–

| क्र0 सं0 | मद | इकाई | मात्रा | दर | कुल धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ISI Marked HDPE Vermibed (IS: 15907:2010) (Size 12'x4'x2') | | | | |
| 02 | UPVC Pegs 14 Nos (Size 1" Dia & Length 33") & UPVC Pipe shade structure* | | | | |
| 03 | Shade Cover ISI Marked HDPE Tarpaulin (IS: 7903:2011) (Size 8'x 15') | | | | |
| 04 | PVC Pipe for Vermiwash Drain | | | | |
| 05 | Earthworms (5 kg) | | | | |
| | | | | **Total** | |

* *लाभार्थी द्वारा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से भी व्यवस्था की जा सकती है।*

फर्म/कम्पनी का नाम ..................................

फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ..................................

फर्म/कम्पनी की मोहर ..................................